न्यायालयः प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश–सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।

अग्रिम जमानत आवेदन पत्र संख्या– 696/2026
महिला थाना कांड संख्या– 16/2026

मुस्ताक..... आवेदक
बनाम
राज्य सरकार

आदेश

10-07-2026 आवेदक/अभियुक्त मुस्ताक, पिता–आबिद की ओर से अपनी गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर बी0एन0एस0एस0 की धारा 482 के अन्तर्गत दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन, जो महिला थाना कांड संख्या– 16/2026, अंतर्गत धारा–126(2), 115(2), 64(1), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 से संबंधित है, को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रचालित किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री देव नारायण सेन एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजानंद पासवान को सुना।

संक्षेप में अभियोजन वाद सूचिका सीमा खातुन के लिखित आवेदन के अनुसार यह है कि दिनांक–22.03.2026 को समय करीब 6 बजे सुबह में अपना दरवाजा बहार रही थी, उसकी माँ एवं भाभी सोई हुई थी, उसे अकेली देख कर उसके घर के बगल का लड़का मुशताक ने उसका दोनों हाथ पकड़ कर अपने आंगन वाले पुरब बिट्टा वाले घर में खिंच कर ले गया और तुरंत घर का दरवाजा बन्द कर लिया और उसे अपने घर में पटक दिया और उसके उपर बढ़ गया और एक हाथ मुंह पर रखा और एक हाथ से पाजामा का डोरी टान दिया, वह चिल्लाती रही लेकिन नहीं माना वह उसका बलात्कार कर दिया, जब वह केवाड खोलकर भागने लगा तो वह हड़बड़ा कर उसका कालर पकड़ वह मुझे झिकाड़ने लगा तो में उसका मोबाईल सट के पेकेट से मोबाईल छिन लिया और उसी आंगन में पश्चिम बिट्टा में लड़का मुशताक की मां और बाप सोया हुवा था, सूचिका तुरंत उसको जगाया और बोले की आपका लड़का अभी–अभी दुष्कर्म किया है, तो उलटे उसे गाली देना शुरू कर दिया, तुरंत पुरव बिट्टा वाले घर में जाकर ताला लगा दिया और फोन कर अपने भाई भतिजा को बोलाकर हमलोगों को काफी मारपीट करने लगा। गाँव के लोग दौड़कर आये और हमने सारी बातें लोगों को बताई तो लोग बोले बैठ कर पंचायती कर देंगे, तो उसका बाप चाचा वगैरह बोला की कोन चीज का पंचायती उसको जो करना है, करें, उसके लिये दो बीधा जमीन बेचकर उसी के पिछे लगा दूंगा ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है और कोई घटना कारित नहीं किया है। आवेदक के द्वारा इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक को गलत तरीके से इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अभियोजन की कहानी बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है। कथित घटनास्थल पर कोई घ्टना घटित नहीं हुई है। सूचिका की पहले किसी और जगह शादी हो चुकी थी, लेकिन वह अपने ससुराल से भाग गयी और अपने माता–पिता के घर में रहती थी और सूचिका के परिवार के सदस्य आवेदक के पिता पर आवेदक की शादी सूचिका से कराने के लिए दबाव डालना चाहते थे, जिसे आवेदक ने अस्वीकार कर दिया। उभय पक्षों के मध्य सुलह–समझौता हो गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान करने की प्रार्थना किया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते है।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रासंगिक कांड की प्राथमिकी आवेदक/अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 126(2), 115(2), 64(1), 352, 3(5) भा0न्या0सं0 के अंतर्गत दर्ज किया गया है। कांड दैनिकी के पारा 02 व 03 में वादिनी एवं साक्षी का बयान है, जिसमें उन्होंने तथाकथित घटना का समर्थन किये हैं। कांड दैनिकी के साथ संलग्न पीड़िता सीमा खातून का धारा 180 बी0एन0एस0एस0 का बयान है, जिसमें उन्होंने कही है कि आवेदक मुस्ताक उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया। अभिलेख के साथ संलग्न पीड़िता सीमा खातून का धारा 180 बी0एन0एस0एस0 का बयान है, जिसमें भी उन्होंने कही है कि आवेदक मुस्ताक उसे शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है। आवेदक के विरूद्ध पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का गंभीर आरोप है। मामले में अभी अनुसंधान जारी है, अतः ऐसी परिस्थिति में आवेदक को अग्रिम जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है।

(लेखापित)
Sd/-
(शशि भूषण कुमार)
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
सह विशेष न्यायाधीश, अररिया।